सत्र प्र. क. 94/18 शासन वि. राजू वैष्णव अन्य

Witness No. ......**23**...... for ....अभि.सा......................... Deposition taken

the .....27.05.2022.....day of शुक्रवार Witness's apparent age .....51 वर्ष.....

States on affirmation शपथ पूर्वक my name is ..... **भूषण एक्का**

Son of....... श्री के. एक्का......................... occupation निरीक्षक

address पुलिस लाईन कबीरधाम छ.ग..

समय 01:15 बजे प्रारंभ

टीप– आरोपीगण को अभिरक्षा से न्यायालय मे उपस्थित नहीं किया गया है इस कारण अभियुक्त को जेल से विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित किया गया।

अभियुक्तगण राजू वैष्णव एवं जुम्मन से पुछा गया कि क्या आपको आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है एवं पिक्चर दिखाई दे रहा है, अभियुक्तगण ने व्यक्त किया गया कि उन्हें आवाज स्पष्ट सुनाई दे रहा है एवं पिक्चर दिख रहा है। अभियुक्त राजू वैष्ण के कनिष्ठ अधिवक्ता श्री सैफी ने भी अभियुक्तगण से पूछा कि सुनाई दे रहा है अथवा नहीं, अभियुक्तगण ने व्यक्त किया गया कि उन्हें आवाज स्पष्ट सुनाई दे रहा है एवं पिक्चर दिख रहा है। अतः परीक्षण प्रारंभ किया।

मुख्यपरीक्षण द्वारा श्री राघवेन्द्र सिंह अपर लोक अभियोजक

1. दिनांक 23.12.2017 को मैं थाना धरसींवा में निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। श्रीमती हेमलता वर्मा पति श्री किशोर वर्मा के द्वारा दिनांक 16.12.2017 को किशोर वर्मा के गुम होने की शिकायत थाना खमतराई मे दर्ज कराया था जिसका रोजनामचा सानहा क्र 45/16.12.2017 है जो **प्रदर्श पी–30 सी** है, जो थाना खमतराई से जीरो पर प्राप्त हुआ। थाना धरसींवा मे गुम इंसान क्रमांक 76/17 दर्ज पर विवेचना प्रारंभ किया गया।

टीप–चायकाल का समय होने से साक्षी का प्रतिपरीक्षण चायकाल पश्चात् के लिए स्थगित किया गया।

गवाह को पढ़कर सुनाया गया । मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।
सही होना स्वीकारा गया ।

सही/–
(अजय सिंह राजपूत)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
रायपुर छ.ग.

सही/–
(अजय सिंह राजपूत)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
रायपुर छ.ग.

गवाह के हस्ताक्षर–..

टीप–चायकाल पश्चात् साक्षी को पुनः शपथ दिलाई जाकर परीक्षण प्रारंभ किया गया।

समय 03:00 बजे।

2. दिनांक 23.12.2017 को श्रीमान् अनुविभागीय दण्डाधिकारी रायपुर को थाना धरसींवा के गुम इंसान किशोर वर्मा के शव को उत्खनन करने की अनुमति प्रदान करने बाबत् तहरीर दिया गया था उक्त तहरीर **प्रदर्श पी–43** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। गवाह कोमल वर्मा और तारकेश्वर वर्मा को गुम इंसान क्रमांक 76/17 किशोर वर्मा के पता साजी हेतु और पूछताछ हेतु धारा 160 द.प्र.स. का नोटिस दिया गया जो क्रमशः प्रदर्श पी–13 एवं 15 है जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

3. दिनांक 24.12.2017 को कार्यपालक मजिस्ट्रेट हरिओम द्विवेदी के द्वारा संदेही राजू वैष्णव और जुम्मन उर्फ राजा के निशानदेही पर गवाह कोमल वर्मा और तारकेश्वर वर्मा की उपस्थिति मे निशानदेही स्थल पंचनामा और शव पहचान पंचनामा तैयार किया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान गुम इंसान किशोर वर्मा का शव राजू वैष्णव व जुम्मन के निशानदेही पर बरामद किया गया जिसका मौके पर गवाहों के समक्ष गुम इंसान बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया जो **प्रदर्श पी–3** है जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

4. विवेचना क्रम मे मृतक किशोर वर्मा पिता दुखुराम वर्मा के संबंध मे प्रार्थी हेमलता वर्मा के बताए अनुसार जांच पर से मेरे द्वारा मौके पर देहाती मर्ग

इंटीमेशन तैयार किया गया जो **प्रदर्श पी–44** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मैरे द्वारा मौके पर ही प्रार्थी हेमलता की ओर से देहाती नालसी लेखबद्ध किया जो **प्रदर्श पी–45** है जो 4 पृष्ठ में है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। उसके पश्चात् मैने दिनांक 24.12.2017 को आरोपी राजू वैष्णव को अभिरक्षा मे लेकर समय 11:10 बजे रांवाभाठा मे गवाह कोमल वर्मा और तारकेश्वर वर्मा की उपस्थिति मे आरोपी राजू वैष्णव का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत उसका मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किया था जिसमे उसने बताया था कि किशोर वर्मा उसे पैसे के लिए परेशान कर रहा था तथा दिनांक 15.12.2017 को उसने किशोर वर्मा को अपने साईड मे 15000/– दुंगा बोलकर बुलाया था, रांवाभाठा के अजय सिंह के फैक्ट्री के पास किशोर वर्मा मिला तब उसने शाम तक पैसे की व्यवस्था करने कहा था शाम 5 बजे अजय सिंह की फैक्ट्री गया था जहां किशोर वर्मा मिला और पैसा मांगा तथा पैसा नहीं देने पर सेठ को बताने बोला और उसका टेलीफोन आ गया तब साथी राजा को बोला किशोर वर्मा पैसे की मांग कर रहा है आज उसे निपटाना है, उसने यह भी बताया था कि उसने तथा राजा खान ने फैक्ट्री के पीछे खूदे गढ्ढे मे लाश को डाले और फावड़ा से मिट्टी डाले, उसी समय साईड मे जे.सी.बी. मशीन का ड्रायवर महेश का मोबाईल आया तो उसे गैंस टंकी का गढ्ढा गलत खूद गया है उसे पाट तो तब महेश से लाश वाले गढ्ढे को पटवाया था। राजू वैष्णव ने अपने मेमोरेण्डम मे बताया था कि किशोर वर्मा के मोटर सायकल को पास वाले नाला मे छुपा दिये व लकड़ी की बल्ली व पाईप को नाका के पास छुपाये हैं तथा किशोर वर्मा की डायरी व टोपी को कंपनी के अंदर तथा फावड़ा को कंपनी के अंदर रखा है चलो चलकर लकड़ी की बल्ली, किशोर वर्मा की मोटर सायकल, फावड़ा, मोबाईल तथा ट्रेक्टर को बरामद करा देतें है। मेमोरेण्डम प्रदर्श पी–4 है जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

5. मेरे द्वारा दिनांक 24.12.17 को समय 11:35 बजे रांवाभाठा रायपुर मे आरोपी राजा उर्फ जुम्मन का मेमोरेण्डम गवाह कोमल वर्मा और तारकेश्वर वर्मा के समक्ष लिया था जिसमे उसने बताया था कि किशोर वर्मा की मोटर सायकल को पास के नाले मे छुपा दिये तथा लोहे के पाईप व बल्ली को नांका के पास छुपा दिये है तथा

किशोर वर्मा की डायरी व टोपी को कंपनी के अंदर जमा दिये है, किशोर वर्मा के मोबाईल को राजू वैष्णव रखा था जो कि रोड के नाला मे फेंक देना बताया था किशोर वर्मा की बाईक को नाला किनारे तथा फावड़ा को कंपनी के अंदर छुपाना बताया था। मेमोरेण्डम प्रदर्श पी–5 है जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

6. मेरे द्वारा दिनांक 24.12.17 को समय 12:05 बजे आरोपी राजू वैष्णव से गवाह कोमल वर्मा और तारकेश्वर वर्मा की उपस्थिति मे राजू वर्मा के निशानदेही पर न्यू जन इंजीनियरिंग कंपनी के पास नाला एवं कंपनी रांवाभाठा के पास से एक लकड़ी की बल्ली पुरानी जिसकी कुल लंबाई 60 इंच, मोटाई 8/4 इंच तथा एक मोटर सायकल हीरो होण्डा स्पलेडर स्पे.प्रो. क्रमांक सी.जी. 04 सी.के. 9660 कीमती लगभग 25,000/– रूपये तथा एक फावड़ा पुराना जिसका फल लोहे का और मुठ लकड़ी का है, गवाहों के समक्ष जप्त किया गया जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–6 है जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

7. मेरे द्वारा दिनांक 24.12.17 को आरोपी राजू वैष्णव से गवाह कोमल वर्मा एवं तारकेश्वर वर्मा की उपस्थिति मे समय 15:15 बजे थाना धरसींवा मे एक ओप्पों कंपनी का मोबाईल जिसके पीछे आई.एस. 13252 पार्ट 1 आई.ई.सी.60950–1 व आर93000132 लेख है जिसमे जिओ कंपनी का सिम न. 7999643796 लगा होना बताया जप्त किया गया जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–7 है जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

8. मेरे द्वारा दिनांक 24.12.17 को आरोपी राजू वैष्णव से गवाह कोमल वर्मा एवं तारकेश्वर वर्मा की उपस्थिति मे समय 13:15 बजे बसंत अग्रवाल का प्लाट रांवाभाठा मे एक लाल गुलाबी महिन्द्रा कंपनी का ट्रेक्टर जिसमे सामने सी.जी. 04 आगे का नंबर मिटा तथा पीछे मठगाठ पर सी.जी. 04 डी 29 नंबर लिखा गया है, काले रंग का सुजुकी बिना नंबर का जिसके पीछे के नंबर प्लेट पर you feel my speed लिखा है। चेचीस नं. MB8NG4BBKH8316533 इंजन नं. EGAI-450380 जप्त किया गया जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–8 है जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

9. विवेचना कम मे मेरे द्वारा घटना स्थल न्यू जन इंजीनियरिंग रांवाभाठा रायपुर से दिनांक 24.12.'2017 को गवाह कोमल वर्मा एवं तारकेश्वर वर्मा के

समक्ष घटना स्थल से एक डिब्बा मे 50 ग्राम खुन आलुदा मिट्टी एवं एक डिब्बा मे 50 ग्राम सादी मिट्टी तथा एक डिब्बा मे 50 ग्राम राखयुक्त मिट्टी आरोपी राजू वैष्णव व जुम्मन के मारपीट स्थल से एवं टोपी व डायरी जलाए गये स्थान से जप्त किया गया जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–9 के स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

10. मेरे द्वारा दिनांक 24.12.2017 को घटना स्थल न्यू जन इंजीनियरिंग रांवाभाठा रायपुर के बगल मे शव स्थल से गवाह कोमल वर्मा एवं तारकेश्वर वर्मा के समक्ष एक डिब्बा मे मृतक किशोर वर्मा के शव के नीचे से खून आलुदा मिट्टी करीब 150 ग्राम तथा मृतक के शव पास से 150 ग्राम सादी मिट्टी जप्त कया था जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–10 के स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

11. मेरे द्वारा दिनांक 24.12.2017 को 12:25 बजे जुम्मन उर्फ राजा खान की निशानदेही पर न्यू जन इंजीनियरिंग के पास रांवाभाठा से गवाह कोमल वर्मा एवं तारकेश्वर वर्मा की उपस्थिति मे एक लोहे का पाईप जिसकी कुल लंबाई 29 1/2 इंच मोटाई 5 1/2 इंच रक्त जैसे निशान एक सिरे पर है तथा एक लोहे का फावड़ा जिसका फल लोहे का मुठ लकड़ी का है जप्त किया गया जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–11 के स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

12. मेरे द्वारा दिनांक 24.12.2017 को 13:45 बजे आरोपी राजू वैष्णव की निशानदेही पर रिंग रोड रिलायंस पेट्रोल पंप का नाला भनपुरी से गवाह कोमल वर्मा एवं तारकेश्वर वर्मा की उपस्थिति मे मृतक किशोर वर्मा के मोबाईल की तलाश किया गया परंतु मोबाईल मौके पर नहीं मिला था तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी–12 के स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं एवं द से द भाग पर आरोपी राजू वैष्णव के हस्ताक्षर है।

13. मेरे द्वारा दिनांक 24.12.17 को 10:15 बजे प्रातः आरोपी राजू वैष्णव के बताए अनुसार घटना स्थल न्यू जन इंजीनियरिंग के पास रांवाभांठा मे गवाह कोमल वर्मा एवं तारकेश्वर वर्मा की उपस्थिति मे घटना स्थल का नक्शा तैयार किया था। जिसमे संकेत अंग्रेजी के A अक्षर से अंकित स्थान पर मृतक किशोर वर्मा का शव छिपाया गया था तथा C अक्षर से अंकित स्थान वह स्थान है जहां पर किशोर वर्मा की

हत्या की गई थी, D अक्षर से अंकित स्थान वह स्थान है जहां मृतक की टोपी व डायरी जलाया गया है E अक्षर से अंकित स्थान वह स्थान है जहां से बाहर जाने का दरवाजा है तथा B तथा F अक्षर से अंकित स्थान वह स्थान है जहां बसंत अग्रवाल के प्लाट की बाउन्ड्री है G अक्षर से अंकित स्थान वह स्थान है जहां मृतक किशोर वर्मा के मोटर सायकल क्र. सीजी. 04 सीके 9660 को पानी के अंदर छुपाया गया था और बरामद किया गया था। अग्रेजी के H व I अक्षर से अंकित स्थान वह स्थान है जहां से लोहे का पाईप व लकड़ी का बल्ली बरामद हुआ है। नजरी नक्शा प्रदर्श पी–14 है जिसके स से स भाग पर मेरे तथा द से द भाग पर आरोपी राजू वैष्णव के हस्ताक्षर हैं।

14. मेरे द्वारा दिनांक 24.12.17 को मृतक किशोर वर्मा का शव परीक्षण कराये जाने हेतु जिला चिकित्सा अधिकारी मेकाहारा रायपुर को आवेदन पत्र प्रेषित किया गया था जो **प्रदर्श पी– 46** है जिसके अ से अ भागों पर मेरे हस्ताक्षर है।

15. मेरे द्वारा दिनांक 24.12.17 को समय 14:55 बजे मर्ग क्रमांक 41/17 मृतक किशोर वर्मा मृत्यु का कारण लोहे की पाईव व बल्ली से सिर व सिने मे मारपीट कर चोट से मृत्यु के संबंध मे सूचक हेमलता वर्मा की सूचना पर अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु की सूचना पंजी दर्ज की गई जो **प्रदर्श पी– 47** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

16. मेरे द्वारा मौके पर श्रीमती हेमलता वर्मा की शिकायत की जांच के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श पी–48** लेखबद्ध किया था जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

17. मेरे द्वारा विवेचना के क्रम मे आरोपी राजू वैष्णव तथा जुम्मन उर्फ राजा खान को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी–16 एवं 17 के ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। गिरफ्तारी की सूचना सुनील वैष्णव और लतीफ खान को दिया गया जो **प्रदर्श पी–49 एवं 50** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। गिरफ्तारी पश्चात् आरोपीयों का डॉक्टरी मुलाहिजा सी.एच.सी. धरसींवा से करवाया गया था।

18. मेरे द्वारा विवेचना के क्रम मे नायब तहसीलदार धरसींवा को घटना स्थल का नजरी नक्शा पटवारी के माध्यम से प्रदान किये जाने हेतु तहरीर प्रेषित किया था जो **प्रदर्श पी–51** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जप्तशुदा माल का रासायनिक परीक्षण कराये जाने हेतु संचालक राज्य न्यायालयिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर को दिनांक 05.03.2018 को पत्र प्रेषित किया गया था जो **प्रदर्श पी–52** है जिसके अ से अ भाग पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श प्राप्ति रसीद **प्रदर्श पी–53** है।

19. मेरे द्वारा आरक्षक बेनीलाल साहू को शव का पी.एम. कराने के लिए कार्य प्रमाण पत्र जारी किया गया था जो **प्रदर्श पी–54** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

20. विवेचना क्रम मे मेरे द्वारा थाना धरसींवा मे कृष्णा वर्मा पति दुखुराम वर्मा के पेश करने पर गवाह सुमंत वर्मा एवं शिव प्रसाद यादव के समक्ष एक ट्रेक्टर क्रमांक सी.जी. 04 डी. ए. 7294 का रजिस्ट्रेशन जिसमे ट्रॉली क्रमांक सी.जी. 04 डी. ए. 7294 का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जिसमे ट्रेक्टर व ट्रॉली किशोर वर्मा के नाम पर है एवं मोटर सायकल क्रमांक सी.जी. 04 सी.एक्स 9660 का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जो किशोर वर्मा के नाम है जप्त किया गया जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी–26** है जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। कृष्णा वर्मा को उक्त जप्त पूर्व दिया गया नोटिस प्रदर्श पी–57 है।

21. मेरे द्वारा दिनांक 30.01.17 को नोडल अधिकारी जियो सेलुलर कंपनी को थाना धरसींवा के अपराध क्र. 603/17 धारा 302, 201, 34 भा.द.स. मे प्रकरण सदर के आरोपी राजू वैष्णव के द्वारा अपने मोबाईल नंबर 7999643796 से मृतक किशोर वर्मा को उसके मोबाईल नंबर 7694936312 दिनांक 15.12.2017 के संबंध मे कॉल डिटेल की मांग किया गया था उक्त तहरीर प्रदर्श पी–29 है जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। जियो कंपनी के द्वारा धारा 65 बी के प्रमाण पत्र के साथ सीडीआर एवं CAF प्रस्तुत किया गया जो प्रकरण मे संलग्न किया गया है।

22. मेरे द्वारा आरक्षक बेनीलाल साहू के द्वारा पेश करने पर एक सीलबंद पैकेट मे मृतक किशोर वर्मा का शर्ट, पेंट अंडर वीयर, शू, शाक्स, एक सीलबंद पैकेट मे डेंचर, लोअर जॉ, रिंग एवं रूद्राक्ष माला जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–34 तैयार किया गया जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

23. मेरे द्वारा डॉ संतु बाघ मेडिकल ऑफिसर को थाना धरसींवा के अपराध क. 603/17 धारा 302, 201, 34 भा.द.सं. मे जप्तशुदा वस्तुओं का क्वैरी रिपोर्ट 3 बिन्दूओं पर मांगा गया था जो **प्रदर्श पी–55** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

24. मेरे द्वारा डॉ संतु बाघ मेडिकल ऑफिसर को थाना धरसींवा के अपराध क. 603/17 धारा 302, 201, 34 भा.द.सं. मे जप्तशुदा वस्तुओं का क्वैरी रिपोर्ट 2 बिन्दूओं पर मांगा गया था जो **प्रदर्श पी–56** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

25. मैं आज अपने साथ थाना धरसींवा के रोजनामचा दिनांक 24.12.17 के सानहा क. 9 व 19 का मूल रजिस्टर साथ लेकर आया हूं जो प्रदर्श पी–58 व 59 है उसकी प्रकरण मे संलग्न नकल से मिलान की गई प्रति **प्रदर्श पी–58 सी एवं 59 सी** है।

26. मेरे द्वारा विवेचना के क्रम मे घटना स्थल जहां पर शव को गाड़ा गया था वहां की फोटोग्राफी व विडियोग्राफी उसके संबंध मे चंचला स्टूडियो चरोदा धरसींवा से कराई गई थी जिसकी फोटो व सीडी प्रकरण मे प्रस्तुत किया हूं जो आर्टिकल –डी है। मेरे द्वारा गुम इंसान किशोर वर्मा का फोटो अभियोग पत्र के साथ संलग्न है जो आर्टिकल–इ है।

27. विवेचना क्रम मे गवाह श्रीमती हेमलता वर्मा, अंकिता वर्मा, सुषमा वर्मा, कोमल वर्मा, तारकेश्वर वर्मा, विकास मेहर कुर्रे, सुनिल कुमार वर्मा, अख्तर खान, विरेन्द्र कुमार निषाद, जावेद खान, बसंत अग्रवाल, प्रदीप वर्मा, अजय बहादुर सिंह, निवेश शर्मा, सतीष कुमार साहू का कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किया गया जिसमे

मेरे द्वारा कुछ भी जोड़ा घटया नहीं गया। विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

मुख्य परीक्षण पूर्ण।

टीप– आदेश पत्रिका मे उल्लेखित कारण से प्रतिपरीक्षण हेतु समय दिया गया।

समय 05:00 बजे समाप्त।

गवाह को पढ़कर सुनाया गया । मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।
सही होना स्वीकारा गया ।

सही/–
(अजय सिंह राजपूत)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
रायपुर छ.ग.

सही/–
(अजय सिंह राजपूत)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
रायपुर छ.ग.

गवाह के हस्ताक्षर–..